



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22072021-228412
CG-DL-E-22072021-228412

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2696]
No. 2696]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 22, 2021/आषाढ़ 31, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 22, 2021/ASHADHA 31, 1943

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2021

का.आ. 2902(अ).—केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) तारीख 25, सितम्बर 2020 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3300(अ) तारीख 24 सितम्बर, 2020 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर देहात व औरैया जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निष्पादन, रख-रखाव, प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप-धारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों अर्थात्, अमर उजाला और दैनिक जागरण में तारीख 06 अक्टूबर, 2020 को प्रकाशित किया गया था;

और, एक आक्षेप प्राप्त हुआ था और उस पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया है तथा तदनुसार आदेश पारित किया गया;

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) के अनुसरण, में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और यह कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष रेलवे परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के लिए कानपुर देहात व औरैया जिले के अन्दर संरचना सहित या उसके बिना अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

जिले का नाम: कानपुर देहात

क्र० सं०	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	गाटा सं०	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल हेक्टेअर में	भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	डेरापुर	परजनी	131	निजी	कृषि	0.3000	मु० रामकान्ती पत्नी श्यामसुन्दर।
			141	निजी	कृषि	0.2760	आदित्य किशोर पुत्र जगदीश नरायन।
			527	निजी	कृषि	0.1401	रमाकान्त पुत्र श्यामसुन्दर।
			532	निजी	कृषि	0.0864	जयराम, लज्जाराम, महेन्द्र कुमार, धनीराम पुत्रगण राम नरायन, बलराम, मोतीलाल पुत्रगण शंकर, तुलसीराम, रामआसरे, बालकराम, खुशीलाल पुत्रगण रामस्वरूप, रामकुमारी पत्नी रामस्वरूप।
			541ख	निजी	कृषि	0.0678	कमल किशोर, चन्द्र किशोर पुत्रगण जगदीश नरायन, सुनीतराज, सुजीतराज पुत्रगण रामकिशोर, सुमनलता पत्नी रामकिशोर।
			542	निजी	कृषि	0.0590	कमल किशोर पुत्र जगदीश नरायन।
			696ख	सरकारी	गैर कृषि	0.0050	आबादी।
जिले का नाम: औरैया							
1	औरैया सदर	केंजरी	613	निजी	कृषि	0.0360	प्रदीप कुमार, अश्वनी कुमार पुत्रगण ललित किशोर, अरुण कुमार मिश्रा, अरविन्द कुमार मिश्रा पुत्रगण स्व० सत्य प्रकाश, श्रीमती उर्मिला देवी मिश्रा पत्नी स्व० सत्य प्रकाश, आलोक कुमार पुत्र अनिल कुमार, कु० पारुल पुत्री अनिल कुमार, श्रीमती मीरा पत्नी स्व० अनिल कुमार, संजय, दीपक मिश्रा पुत्रगण स्व० ज्ञान प्रकाश, श्रीमती आशा देवी पत्नी स्व० ज्ञान प्रकाश, जय प्रकाश, श्री प्रकाश पुत्रगण शिवगनेश, शुभम उर्फ सीनियर मिश्रा पुत्र मनोज कुमार, शकुन उर्फ जूनियर मिश्रा पुत्र मनोज कुमार, कु० श्रृंखला उर्फ चंचल पुत्री मनोज कुमार, श्रीमती सुमनलता पत्नी स्व० मनोज कुमार।
			618	निजी	कृषि	0.0240	प्रदीप कुमार, अश्वनी कुमार पुत्रगण ललित किशोर, अरुण कुमार मिश्रा, अरविन्द कुमार मिश्रा पुत्रगण स्व० सत्य प्रकाश, श्रीमती उर्मिला देवी मिश्रा पत्नी स्व० सत्य प्रकाश,

क्र० सं०	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	गाटा सं०	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल हेक्टेअर में	भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
							आलोक कुमार पुत्र अनिल कुमार, कु० पारुल पुत्री अनिल कुमार, श्रीमती मीरा पत्नी स्व० अनिल कुमार, संजय, दीपक मिश्रा पुत्रगण स्व० ज्ञान प्रकाश, श्रीमती आशा देवी पत्नी स्व० ज्ञान प्रकाश, जय प्रकाश, श्री प्रकाश पुत्रगण शिवगनेश, शुभम उर्फ सीनियर मिश्रा पुत्र मनोज कुमार, शकुन उर्फ जूनियर मिश्रा पुत्र मनोज कुमार, कु० श्रृंखला उर्फ चंचल पुत्री मनोज कुमार, श्रीमती सुमनलता पत्नी स्व० मनोज कुमार ।
			890मि०	निजी	कृषि	0.0320	विद्याराम पुत्र तुलसीराम ।

[फा. सं. 2021/एलएमएल-II/12/2/ईसी/2171]

ए. के. सिन्हा, कार्यकारी निदेशक (भू. एवं सु. और स्टै.वि.)

MINISTRY OF RAILWAY

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th July, 2021

S.O. 2902(E).—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O. 3300(E), dated the 24th September, 2020, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 25th September, 2020 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the districts of Kanpur Dehat and Auraiya in the State of Uttar Pradesh;

And whereas, the substance of the said notification was published in daily news papers namely, Amar Ujala and Dainik Jagran dated the 6th October, 2020 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, one objection has been received and the same has been considered by the competent authority and accordingly orders have been passed;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structures for the Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the districts of Kanpur Dehat and Auraiya in the State of Uttar Pradesh.

Name of District-Kanpur Dehat

SL. No.	Name of Taluka	Name of village	Survey number	Type	Nature	Area (in hectares)	Name of the land owner/ interested persons
1	Derapur	Parjani	131	Private	Agricultural	0.3000	Mu. Ramkanti W/o Shyam Sundar.
			141	Private	Agricultural	0.2760	Aditya Kishor S/o Jagdish Narayan.
			527	Private	Agricultural	0.1401	Ramakant S/o Shyam Sundar.
			532	Private	Agricultural	0.0864	Jairam, Lajjaram, Mahendra Kumar, Dhaniram S/o Ram Narayan, Balram, Moti Lal S/o Shankar, Tulsiram, Ram Asre, Balakram, Khushi Lal S/o Ram Swaroop, Ram Kumari W/o Ram Swaroop.
			541ख	Private	Agricultural	0.0678	Kamal Kishor, Chandra Kishor S/o Jagdish Narayan, Sunitraj, Sujeetraj S/o Ram Kishor, Suman Lata W/o Ram Kishor.
			542	Private	Agricultural	0.0590	Kamal Kishor S/o Jagdish Narayan.
			696ख	Government	Non Agricultural	0.0050	Abadi.
Name of District-Auraiya							
1	Auraiya Sadar	Kenjari	613	Private	Agricultural	0.0360	Pradeep Kumar, Ashwani Kumar S/o Lalit Kishor, Arun Kumar Mishra, Arvind Kumar Mishra S/o Late Satya Prakash, Smt. Urmila Devi Mishra W/o Late Satya Prakash, Alok Kumar S/o Anil Kumar, Ku. Parul D/o Anil Kumar, Smt. Meera W/o Late Anil Kumar, Sanjay, Deepak Mishra S/o Late Gyan Prakash, Smt. Asha Devi W/o Late Gyan Prakash, Jai Prakash, Shri Prakash S/o Shiv Ganesh, Shubham Alias Senior Mishra S/o Manoj Kumar, Shakun Alia

SL. No.	Name of Taluka	Name of village	Survey number	Type	Nature	Area (in hectares)	Name of the land owner/ interested persons
							Junior Mishra S/o Manoj Kumar, Ku. Shrankhala Alias Chanchal D/o Manoj Kumar, Smt. Suman Lata W/o Late Manoj Kumar.
			618	Private	Agricultural	0.0240	Pradeep Kumar, Ashwani Kumar S/o Lalit Kishor, Arun Kumar Mishra, Arvind Kumar Mishra S/o Late Satya Prakash, Smt. Urmila Devi Mishra W/o Late Satya Prakash, Alok Kumar S/o Anil Kumar, Ku. Parul D/o Anil Kumar, Smt. Meera W/o Late Anil Kumar, Sanjay, Deepak Mishra S/o Late Gyan Prakash, Smt. Asha Devi W/o Late Gyan Prakash, Jai Prakash, Shri Prakash S/o Shiv Ganesh, Shubham Alias Senior Mishra S/o Manoj Kumar, Shakun Alias Junior Mishra S/o Manoj Kumar, Ku. Shrankhala Alias Chanchal D/o Manoj Kumar, Smt. Suman Lata W/o Late Manoj Kumar.
			890मि.	Private	Agricultural	0.0320	Vidhyaram S/o Tulsiram.

[F. No. 2021/LML-II/12/2/EC/2171]

A. K. SINHA, Executive Director (L&A and SD)